पेश हुई

23/9/15 पत्रावली पेश हुई [illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर

[illegible] जिला [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 118 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 244
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.09.....2024

1. बाबूलाल पुत्र परसादी जाति ब्राह्मण निवासी विनउआं तह. नदबई।

2.

प्रार्थी

बनाम

1. मुशीलाल पुत्र परसादी जाति ब्राह्मण निवासी विनउंआ तहसील नदबई।
2. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री ओमप्रकाश शर्मा एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री जगवीर सिंह एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल जमाबंदी सं. 2074 से 2077 के खाता सं. 81 के खसरा न. 515 रकवा 0.01, 805 / 516 रकवा 0.08, 808 / 495 रकवा 0.05 किता 3 रकवा 0.14 है. वाके ग्राम विनउंआ

23/09/24

तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अंकित है।

3. यह कि उक्त विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी की न्यारानूर आराजी है, जिससे अप्रार्थीगण को इस संबंध में सरोकार नही है। प्रार्थी की आराजी के सटैमा अप्रार्थी की आराजी खसरा न. 804/516 रकवा 0.09, 806/658 रकवा 0.04 है जिसकी आड में अप्रार्थी जबरन लट्ठ के बल पर प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी को हडपना चाहता है। तथा प्रार्थी की न्यारानूर आराजी खसरा न. 515, 805/516, 808/495 की डौरमेंढ तोडकर अपने रकवे में मिला कर पुख्ता निर्माण करना चाहता है, तथा प्रार्थी की स्वामित्व की आराजी से जबरन बेदखल करना चाहता है, जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी को कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। जिसे प्रार्थी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को वामुकाम विनउंआ तहसील नदबई पर यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी मद सं. 2 प्राथना पत्र की आराजी पर डौर मेंढ तोड़कर जबरन पुख्ता निर्माण कर के रहेगे व प्रार्थी को उसकी आराजी से जबरन बेदखल करके रहेगे जबकि अप्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्मि जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने

23/09/24

का अधिकारी है कि वह उक्त आराजी में मदाखलत मजामहत न करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

5. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है, अतः प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी में मदाखलत व मजामहत नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री जगदीर सिंह एडवोकेट द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. स्वीकार है, लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 आराजी वादी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना रिकॉर्ड सं संबंधित है।
3. यह कि मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी की आराजी खसरा न. 515 व 806/495 से अप्रार्थी का कोई भी खसरा न. मिला हुआ नहीं है, वल्कि प्रार्थी की खातेदारी का खसरा न. 805/516 अप्रार्थी के खसरा न. 804/516 से मिला हुआ है लेकिन प्रार्थी अपने उक्त खसरा न. की निर्मित वाउन्ड्री वॉल को जबरदस्ती तोडना चाहता है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं है, लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

23/09/24

4. यह कि मद सं. 4 जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार नहीं है, जबकि प्रार्थी खुद अपने खसरा न. 805/516 की आड में अप्रार्थी के खसरा न. 804/516 पर जबरदस्ती अतिक्रमण करना चाहता है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है, प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

5. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अन्त में प्रार्थी खुद अपने खातेदारी के खसरा न. 805/516 की आड में जबरदस्ती अप्रार्थी के खसरा न. 804/516 पर जबरदस्ती अतिक्रमण करना चाहता है व अप्रार्थी को अपने उक्त खसरा न. पर उपयोग व उपभोग करने से वंचित करना चाहता है, अतः उक्त टीआई मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम विनउआं एवं प्रार्थना पत्र बाबत पैमाईश पेश की गई।

अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसमें वादी की खातेदारी आराजी से बेदखल करने का कब्जो से बेदखली करने का अनुतोष चाहा गया है। वाद

23/09/24

पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी हाल जमाबंदी सं. 2074 से 2077 के खाता सं. 81 के खसरा न. 515 रकवा 0.01, 805/516 रकवा 0.08, 808/495 रकवा 0.05 किता 3 रकवा 0.14 है. वाके ग्राम विनउंआ तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार अंकित है। उक्त विवादित आराजी ये अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी आराजी के सटैमा अप्रार्थी की अराजी ख.न. 804/516 व 806/658 है जिसकी आड़ में प्रार्थी को आराजी से बेदखल करने का अनुतोष खहा है परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी मुंशीलाल पुत्र परसादी व प्रार्थी बाबूलाल पुत्र परसादी जाति ब्राह्मण निवासी बिनउआ में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.07.2015 को कानूनी रूप से बंटवारा हो चुका है। जिसमें खसरा नंबर 515 रकबा 0.1, 516 रकबा 0.17 का विभाजन हुआ जिसमें खसरा नंबर 515 रकबा 0.1, 516 रकबा 0.8 पर बाबूलाल पुत्र परसादी के हिस्से में आराजी आई एवं खसरा नंबर 516 पर मंशी पुत्र परसादी जाति ब्राह्मण निवासी बिनउआ के हिस्से में रकवा 0.09 की आराजी आई। उक्त विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी मुंशीलाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी में चारदीवारी कर रहा है तथा प्रार्थी बाबू अपने हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहा है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी बाबूलाल के हिस्से की आराजी में अप्रार्थी मुंशीलाल किसी प्रकार की दखलदांजी

23/09/24

अथवा बेदखल जैसी कार्यवाही नहीं की जा रही है। और न ही किसी प्रकार की प्रार्थी के हिस्से की आराजी में दखलदांजी अथवा अतिक्रमण किया जा रही है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित रहेगा। जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 22.07.2022 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/09/24

(गगांधर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, नदबई